



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक: 176 /भण्डार/2021-22

भोपाल, दिनांक:

केन्द्रीय संचालन हेतु प्रथम ई-निविदा - वर्ष 2021-22

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल परिसर में दो केन्द्रीय किराये से संचालन हेतु आन-लाइन अधिकृत फर्मों/संचालकों से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

दो केन्द्रीय संचालन का निविदा प्रपत्र, निविदा की शर्तें, अन्य विस्तृत जानकारी तथा निविदा में भाग लेने हेतु वेबसाइट <https://mptenders.gov.in> से निविदा डाउनलोड कर निविदा आन-लाईन अपलोड की जाना है। निविदा का अयलोकन विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.bubhopal.ac.in पर भी किया जा सकता है। निविदाएं हार्ड कापी में आफ-लाईन विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार नहीं की जावेगी।

निविदा प्रपत्र का मूल्य रूपये 1,000-00 (रु. एक हजार मात्र) तथा सुरक्षा निधि राशि रु. 5000-00 (रु. पांच हजार मात्र) हैं। जिसे आन-लाईन जमा किया जाना है।

निविदा का प्रकाशन वेबसाइट पर किये जाने के पश्चात निविदा में किसी प्रकार का संशोधन होने की स्थिति में संशोधन की जानकारी वेबसाइट पर दी जाएगी। निविदा जमा एवं खोलने सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार है:-

सं.क्रं.	विवरण	दिनांक	समय
01	Published Date	04-01-2022	निविदा आन लाईन प्रस्तुत करने तथा खोलने का समय वेबसाइट https://mptenders.gov.in पर दर्शित है।
02	Document Download/Start Date	04-01-2022	
03	Bid Submission Start Date	04-01-2022	
04	Document Download/Sale End Date	27-01-2022	
05	Bid Submission End Date	27-01-2022	
06	Bid Opening Date	28-01-2022	


 कुलसचिव


 कुलसचिव

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

केन्द्रीय संचालक की प्रथम ई-निविदा - वर्ष 2021-22

भाग - 1

निविदा आवेदन एवं प्रक्रिया संबंधी जानकारी

- 1.1 बरकतउल्ला विश्वविद्यालय परिसर में मुख्य प्रशासनिक भवन, शारीरिक शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग, सी.आर.आई.एम., अर्थ साइंस, भौतिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक विभाग, बायोसाइन्स विभाग, फार्मसी विभाग, अभियांत्रिकी संस्थान, भाषा विभाग, मनोविज्ञान विभाग, कामर्स विभाग, आर.पी.ई.जी. विभाग, विधि विभाग, पुस्तकालय, तीन कन्या छात्रावास तथा तीन बालक छात्रावास एवं अतिथिगृह स्थित है। इन विभागों में अध्ययनरत छात्र विश्वविद्यालय में आते हैं। इसके अतिरिक्त लगभग प्रतिदिन 300 छात्र/छात्राएं विश्वविद्यालय के परिसर में परीक्षा संबंधी कार्य से आते हैं। इनकी सुविधा के दृष्टिगत विश्वविद्यालय परिसर में दो केन्द्रीय का संचालन किया जाना है।
- 1.2 केन्द्रीय संचालन का निविदा प्रपत्र वेबसाइट <https://mptenders.gov.in> से डाउनलोड करें तथा इसी वेबसाइट पर निविदा आन लाईन प्रस्तुत की जाना है। निविदा का अवलोकन बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल की वेबसाइट www.bubhopal.ac.in पर किया जा सकता है। निविदाएं हार्ड कॉपी में आफ-लाईन विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार नहीं की जावेगी।
- 1.3 यह निविदा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल परिसर में स्थित दो केन्द्रीय किराये से संचालन हेतु आमंत्रित की जाती हैं। एक ही निविदाकर्ता दोनों केन्द्रीय अथवा पृथक-पृथक निविदाकर्ता अलग-अलग केन्द्रीय के लिए निविदाएं प्रस्तुत कर सकते हैं।
- 1.4 निविदा में किसी प्रकार (निविदा की तिथि अथवा शर्तों) का संशोधन होने की स्थिति में संशोधन की जानकारी वेब-साइट पर दी जावेगी। संशोधन समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किये जावेंगे।
- 1.5 निविदा आन-लाइन प्रस्तुत करने तथा खोलने का विवरण निम्नानुसार है:-

सं.क्र.	विवरण	दिनांक	समय
01	Published Date	04-01-2022	निविदा आन लाईन प्रस्तुत करने तथा खोलने का समय वेबसाइट https://mptenders.gov.in पर दर्शित है।
02	Document Download/Start Date	04-01-2022	
03	Bid Submission Start Date	04-01-2022	
04	Document Download/Sale End Date	27-01-2022	
05	Bid Submission End Date	27-01-2022	
06	Bid Opening Date	28-01-2022	

- 1.6 यदि निविदा खोलने की दिनांक को अपरिहार्य कारणों से निविदाएं खोली नहीं जा सकती है तो निविदाएं आगामी कार्यदिवस पर खोली जावेगी।
- 1.7 प्रक्रिया-1: निविदा प्रपत्र का मूल्य रुपये 1,000=00 (रुपये एक हजार मात्र) हैं। सुरक्षा निधि राशि रुपये 5000=00 (रुपये पांच हजार मात्र) हैं। इन्हें आन लाईन जमा किया जाना है। जमा की दोनों रसीदों को निविदा के साथ अपलोड करना है। उपरोक्तानुसार निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं सुरक्षा निधि राशि प्राप्त होने पर ही फर्म को प्रक्रिया-2 के लिए योग्य माना जावेगा।

अनुसूचित जाति आरक्षण अधिकारी (निविदाएं)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

- 1.8 प्रक्रिया-2 : तत्पश्चात उपरोक्त प्रक्रिया 1 में योग्य पायी जाने वाली फर्मों की ही तकनीकी निविदा देखी जावेगी। तकनीकी निविदा को केवल ऑनलाईन प्रस्तुत किया जाना है। तकनीकी निविदा के भाग-2 में दर्शित दस्तावेज फर्म की सील एवं हस्ताक्षरित दस्तावेज स्कैन कर अपलोड किये जाने हैं। स्कैन किए गए दस्तावेज स्पष्ट एवं पठनीय होना चाहिए।
- 1.9 प्रक्रिया-3 : तत्पश्चात उपरोक्त प्रक्रिया 2 (तकनीकी निविदा) में योग्य निविदाकर्ता फर्म की वित्तीय निविदा खोली जावेगी। वित्तीय निविदा में अधिकतम किराये की दर प्रस्तुत करने वाली फर्म का चयन किया जावेगा।


अनुभाऊ अधिकारी (भण्डारी)
राज्य सरकार, विद्युत विभाग, सोनीपत

भाग - 2
निविदा की अर्हकारी
शर्तें

- 2.1 **केन्टीन हेतु अनुभव** :- निविदाकर्ता फर्म को विगत तीन वित्तीय वर्षों (2017-18, 2018-19, 2019-20) में शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्था/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में केन्टीन चलाने का अनुभव होना चाहिए। सम्बन्धित संस्था के कार्य आदेश /प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रमाण स्वरूप संलग्न करें।
- 2.2 फर्म के पिछले तीन असेसमेन्ट वर्षों (2018-19, 2019-20, 2020-21) के इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) की छाया प्रति संलग्न करें।
- 2.3 विगत तीन वित्तीय वर्षों (2017-18, 2018-19, 2019-20) में फर्म का न्यूनतम रूपये 2,00,000-00 प्रतिवर्ष का टर्नओवर होना अनिवार्य है। फर्म के टर्नओवर की चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट से सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें।
- 2.4 निविदा में भाग लेने वाली फर्म किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था/विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से कभी भी ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। साथ ही उसे किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था/विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा डिफाल्टर एवं दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो, इस बाबत निविदाकर्ता फर्म को शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जो रूपये 500=00 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा विधिवत सत्यापित होगा। शपथ पत्र पर निविदा से संबंधित अन्य जानकारियों का विवरण भी शपथ पत्र में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। शपथ पत्र का प्रारूप संलग्न है।
- 2.5 निविदा प्रपत्र एवं संलग्न प्रपत्रों के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकर्ता द्वारा फर्म की मुहर लगाकर हस्ताक्षर किया जाना चाहिए।
- 2.6 (क) जी0एस0टी0 (GST) नंबर की छाया प्रति संलग्न करें।
(ख) PAN CARD (आयकर) की छाया प्रति संलग्न करें।
(घ) संस्था/फर्म/कम्पनी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।
- 2.7 केन्टीन की निविदा हेतु निविदाकर्ता के पास खाद्य एवं औषधि विभाग का जीवित पंजीयन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- 2.8 निविदाकर्ता के पास FSSI का जीवित पंजीयन होना चाहिए। इसकी प्रति संलग्न करें।
- 2.9 निविदा प्रपत्र का मूल्य रूपये 1,000-00 वापसी योग्य नहीं है।
- 2.10 निविदा प्रपत्र ए-1 फर्म की जानकारी एवं घोषणा पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।


निविदाकर्ता
संस्था/फर्म/कम्पनी का नाम

भाग - 3
निविदा की अन्य
शर्तें

केन्टीन का निरीक्षण :-

- 3.1 निविदाकर्ता फर्म द्वारा केन्टीन का निरीक्षण कार्यालयीन कार्य दिवस एवं समय में विश्वविद्यालय परिसर में निविदा प्रकाशन दिनांक के पश्चात किया जा सकता है।
- 3.2 विश्वविद्यालय द्वारा केन्टीन प्रतिमाह अधिकतम किराये के आधार पर दी जावेगी। निविदाकर्ता फर्म से अपेक्षा है कि वह निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व केन्टीन का निरीक्षण भली भाँति कर ले।

अनुबन्ध:-

- 3.3 निविदाकर्ताओं को निविदा में पात्र पाये जाने की सूचना विश्वविद्यालय द्वारा पत्र से अथवा ई-मेल के माध्यम से दी जावेगी। इस सूचना के एक सप्ताह के अन्दर निविदा में सफल फर्म को रुपये 500-00 के नान-ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर निविदा की शर्तों के अनुरूप कुलसचिव बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के साथ अनुबंध सम्पादित करना होगा।
- 3.4 निविदा में सफल फर्म से विश्वविद्यालय द्वारा 11 माह के लिए अनुबंध किया जाएगा।
- 3.5 विश्वविद्यालय द्वारा निविदा में सफल फर्मों की कार्य क्षमता एवं खाद्य सामग्री की गुणवत्ता को देखते हुए, अनुबंध की अवधि को आपसी सहमति से 11-11 माह के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। यह अवधि अधिकतम 5 बार से अधिक नहीं होगी।

बैंक गारंटी एवं सुरक्षा निधि:-

- 3.6 सफल निविदाकर्ताओं को रुपये 50,000-00 की बैंक गारंटी एफ.डी.आर. के रूप में कुलसचिव बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के नाम से विश्वविद्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन पर बैंक गारंटी (एफ.डी.आर.) एवं सुरक्षा निधि राशि को राजसात कर उसका नकदीकरण किया जा सकेगा। सफल निविदाकर्ता की सुरक्षा निधि राशि अनुबंध पश्चात लौटा दी जावेगी।
- 3.7 सफल निविदाकर्ताओं द्वारा जमा की गई बैंक गारंटी (एफ.डी.आर.) मय ब्याज के निविदा पूर्ण होने के पश्चात फर्म को वापस कर दी जावेगी।
- 3.8 सफल/असफल निविदाकर्ताओं की सुरक्षा निधि राशि (EMD) पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। असफल निविदाकर्ता की सुरक्षा निधि राशि (EMD) वापिस कर दी जावेगी।

पैनल्टी :-

- 3.9 यदि निविदा में सफल फर्म द्वारा विश्वविद्यालय के साथ निर्धारित दिनांक तक अनुबंध नहीं किया जाता है तो उस फर्म को ब्लेक लिस्ट करते हुए उसकी सुरक्षा निधि राशि (EMD) राजसात कर ली जावेगी।

- 3.10 यदि निविदा में सफल फर्म द्वारा निविदा/अनुबन्ध की शर्तों का पालन नहीं किया जाता है तो विश्वविद्यालय द्वारा फर्म के उपर पेनल्टी राशि अधिरोपित की जावेगी। साथ ही उस फर्म को ब्लैक लिस्ट करते हुए उसकी बैंक गारंटी राशि (FDR) राजसात कर ली जावेगी।
- 3.11 निविदा में सफल फर्म को प्रतिमाह की 05 तारीख तक केन्टीन का किराया बैंक ड्राफ्ट से जो कि कुलसचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के नाम से देय होगा, विश्वविद्यालय में जमा करना आवश्यक होगा। विलम्ब की स्थिति में प्रतिदिन किराये का 10 प्रतिशत राशि की पेनल्टी जोड़कर जमा करना होगी।
- 3.12 लाकडाउन/दंगों/फसाद/धारा 144 की स्थिति में केन्टीन/दुकान के किराये एवं पेनल्टी के संबंध में निर्णय हेतु विश्वविद्यालय के कुलपतिजी/कुलसचिव अधिकृत होंगे।

केन्टीन किराये पर देने की अन्य शर्तें:-

- 3.13 केन्टीन में कार्य करने वाले समस्त कर्मचारियों की व्यवस्था निविदा में सफल फर्म द्वारा की जावेगी। कार्यरत कर्मचारी शालीन, सभ्य एवं साफ सुथरे कपड़ों में कार्यरत होना चाहिए।
- 3.14 केन्टीन संचालक का पुलिस विभाग से चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- 3.15 निविदा में सफल फर्म को उसके अधीन कार्यरत कर्मचारियों का पुलिस विभाग से चरित्र सत्यापन तथा स्वस्थ्य होने का चिकित्सक का प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। केन्टीन संचालक एवं अधीनस्थ कर्मचारी किसी गंभीर बीमारी / इन्फेक्शन से पीड़ित नहीं होना चाहिए।
- 3.16 केन्टीन एवं दुकान किराये पर देने की निविदा संबंधी समस्त अधिकार बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के पास सुरक्षित रहेंगे। इस निविदा को किसी भी स्तर पर बिना कारण बताएं निरस्त करने का पूर्ण अधिकार बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
- 3.17 निविदाकर्ता फर्म को बाल श्रम प्रतिबंध अधिनियम का पालन करना होगा। इस बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 3.18 निविदाकर्ता फर्म द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का पालन करना होगा। इस बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 3.19 निविदा में सफल फर्म किसी अन्य फर्म को केन्टीन/दुकान किराये पर नहीं देगी।
- 3.20 निविदा में सफल फर्म को उसके अधीन कार्यरत कर्मचारियों की सूची जिसमें उसका नाम, पता, फोटोग्राफ, तथा फोटो आई.डी. एवं मोबाईल नम्बर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना होगा।
- 3.21 निविदा में सफल फर्म को उसके अधीन कार्यरत कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान उनके बैंक खाते में प्रतिमाह स्थानांतरित करते हुए उसकी सूची तथा ऑनलाईन जमा की रसीद प्रतिमाह विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना होगा।
- 3.22 केन्टीन संचालक द्वारा श्रम नियमों का पालन किया जावेगा।
- 3.23 केन्टीन में कार्य के दौरान यदि कोई दुर्घटना हो जाती है उसका उत्तरदायित्व केन्टीन संचालक का होगा।

अनु... अधिकारी (भण्डार)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

- 3.24 निविदाकर्ता द्वारा निविदा में प्रस्तुत दस्तावेजों का आवश्यकता पड़ने पर संबंधित संस्था/विभाग से सत्यापन कराया जा सकता है। निविदा में प्रस्तुत जानकारी असत्य पाई जाने पर सुरक्षा निधि राशि एवं बैंक गारंटी (एफ.डी.आर.) जब्त करते हुए निविदाकर्ता संस्था को ब्लैक लिस्ट किया जावेगा।
- 3.25 केन्टीन में विक्रय की जाने वाली खाद्य सामग्री की दर सूची केन्टीन में लगाना आवश्यक है। दर सूची से अधिक मूल्य पर खाद्य सामग्री नहीं बेची जावेगी। पैकड खाद्य सामग्री एम.आर.पी. से अधिक मूल्य पर नहीं बेची जावेगी। शिकायत प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय वैधानिक कार्यवाही कर सकेगा।
- 3.26 विश्वविद्यालय द्वारा केन्टीन की खाद्य सामग्री की गुणवत्ता एवं दरों के निर्धारण हेतु एक समिति का गठन किया जावेगा। यह समिति समय-समय पर खाद्य सामग्री की गुणवत्ता एवं दरों का परीक्षण करेगी। यह समिति प्रतिदिन अथवा आकस्मिक रूप से खाद्य सामग्री की गुणवत्ता एवं दरों का निरीक्षण कर सकेगी। शिकायत प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय वैधानिक कार्यवाही कर सकेगा।
- 3.27 खाद्य सामग्री साफ-सुथरी, पोषक, ताजी एवं रिफाईन्ड तेल में तैयार की जानी चाहिए।
- 3.28 खाद्य सामग्री तैयार करने में उपयोग होने वाले मसाले तेल आदि उच्च गुणवत्ता एवं मानक स्तर के होना चाहिए।
- 3.29 किचन साफ-सुथरा तथा किचन में उपयोग में आने वाले बर्तन एवं क्राकरी फूड ग्रेड स्तर की साफ-सुथरी एवं अच्छी हालत में होना चाहिए। क्राकरी एवं बर्तन की व्यवस्था केन्टीन संचालक को स्वयं करना होगी।
- 3.30 सफल निविदाकर्ता को बिजली का मीटर स्वयं लगाना होगा तथा बिजली एवं पानी का भुगतान प्रतिमाह विश्वविद्यालय में किराये के साथ जमा करना होगा। बिजली एवं पानी की दर विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जावेगी।
- 3.31 केन्टीन/दुकान हेतु फर्नीचर/बर्तन की व्यवस्था स्वयं करना होगी। बिजली की ट्यूबलाईट, बल्ब, पंखों की व्यवस्था भी स्वयं करना होगी। गर्मी में ठंडी हवा हेतु एयर कूलर समुचित संख्या में रखना आवश्यक है।
- 3.32 स्वच्छ एवं ठण्डे पानी की व्यवस्था हेतु केन्टीन में वाटरकूलर कम आर.ओ., रेफ्रीजरेटर/डीप फ्रिज रखना आवश्यक होगा।
- 3.33 केन्टीन में खाद्य सामग्री बनाने हेतु कामर्शियल गैस सिलेण्डर एवं चूल्हे की व्यवस्था स्वयं करना होगा। कोयले/लकड़ी के ईंधन के उपयोग की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3.34 केन्टीन में व्रत, त्यौहार, उपवास की अवधि में फलाहारी खाद्य सामग्री की व्यवस्था भी रखनी होगी।
- 3.35 केन्टीन की खाद्य सामग्री खाने के पश्चात यदि किसी को फूड पाइजनिंग होती है तो उसका उत्तरदायित्व केन्टीन संचालक का होगा। इसमें विश्वविद्यालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
- 3.36 केन्टीन द्वारा खाद्य सामग्री कार्यालय में स्वयं के व्यय पर प्रदाय करना होगी। इस बाबत पृथक से कोई चार्ज देय नहीं होगा। इस बाबत समुचित संख्या में कर्मचारियों की व्यवस्था केन्टीन संचालक द्वारा की जावेगी।

Dr. [Signature]
 संचालक, केन्टीन (भण्डारी)
 विश्वविद्यालय, भोपाल

- 3.37 केन्टीन में लगने वाली सामग्री जैसे साबुन, लिक्विड सौप, तौलिया, पेपर नेपकीन, वाश बेसिन आदि की व्यवस्था केन्टीन संचालक द्वारा की जाना होगी। फर्नीचर एवं वाश बेसिन स्वच्छ होना चाहिए।
- 3.38 केन्टीन/दुकान में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा शराब, सिगरेट, तम्बाकू, गुटका एवं अन्य नशीले पदार्थ का सेवन किया जाना पूर्णतः वर्जित है। यदि कोई कर्मचारी इसका उपयोग करते पाया गया तो उस कर्मचारी को केन्टीन / दुकान संचालक को तत्काल हटाना होगा तथा केन्टीन/दुकान संचालक के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही/अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा। वैधानिक कार्यवाही के लिए विश्वविद्यालय की समिति/कुलसचिव/कुलपतिजी को अधिकार होगा।
- 3.39 केन्टीन/दुकान का अन्य कार्य के लिए उपयोग की अनुमति नहीं दी जावेगी। केन्टीन/दुकान के लिए आवंटित स्थान के अतिरिक्त स्थान की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3.40 केन्टीन/दुकान में स्टाफ को रात्रि विश्राम की अनुमति नहीं होगी।
- 3.41 आवश्यकता पड़ने पर केन्टीन संचालक को सेमीनार/बैठक/कार्यशाला/अतिथिगृह में कायदेश में दर्शित सूची अनुसार चाय-नाश्ते/भोजन का प्रबन्ध करना होगा। केन्टीन संचालक द्वारा विश्वविद्यालय को बिल प्रस्तुत करने पर विश्वविद्यालय द्वारा उसका भुगतान किया जावेगा।
- 3.42 विश्वविद्यालय की अनुमति के बिना केन्टीन/दुकान में कोई परिवर्तन / निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा।
- 3.43 केन्टीन/दुकान संचालक द्वारा कचरे का निपटारा स्वयं करेगा। विश्वविद्यालय परिसर में गंदगी नहीं फैलाएगा। पर्यावरण की सफाई पर विशेष ध्यान रखेगा। केन्टीन अथवा आस-पास बदबू नहीं आना चाहिए।
- 3.44 केन्टीन में नान-वेज खाद्य पदार्थ का विक्रय पूर्णतः वर्जित रहेगा। मात्र वेजीटेरियन खाद्य पदार्थ का विक्रय किया जावेगा।
- 3.45 दोनों पक्षों में से यदि कोई भी पक्ष निविदा समाप्त करना चाहता है तो उसे न्यूनतम 03 माह की पूर्व सूचना देना आवश्यक है।
- 3.46 केन्टीन का खोलने का समय गर्मी/बरसात में सुबह 8-00 बजे से सायं 8-00 बजे तक रहेगा। सर्दियों में केन्टीन/दुकान खोलने का समय सुबह 9-00 बजे से सायं 6-00 बजे तक रहेगा।
- 3.47 निविदा प्रक्रिया के संबंध में किसी भी प्रकार की व्याख्या (Interpretation) का प्रश्न उपस्थित होने पर बरकतउल्ला विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम एवं निविदाकर्ता फर्म को स्वीकार योग्य होगा।
- 3.48 न्यायालयीन विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार भोपाल न्यायालय होगा।

वित्तीय निविदा :-

- 3.49 वित्तीय निविदा में निविदाकर्ता फर्म को केन्टीन/दुकान के प्रतिमाह किराये की दर रूपये में अंकित की जाना है। जी.एस.टी. की दर पृथक से अंकित करें। बिजली एवं पानी की दर विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जावेगी।
- 3.50 केन्टीन की किराये की दर बाजार दर से कम दर प्रस्तुत करने पर निविदाएं मान्य नहीं होगी।
- 3.51 प्रत्येक 11 माह पश्चात केन्टीन/दुकान के किराये पर 5% वृद्धि की जावेगी।
- 3.52 वित्तीय निविदा में दो या अधिक फर्मों द्वारा प्रस्तुत किराये की दर समान पाई जाती है तो जिस फर्म का टर्न ओवर अधिक होगा। उस फर्म को निविदा में पात्र माना जावेगा।

भाग - 4
केन्टीन एवं दुकान का विवरण

केन्टीन क्रमांक-1 :- बरकतउल्ला विश्वविद्यालय परिसर में सत्य भवन के पास केन्टीन को अधिकृत केन्टीन संचालक को किराये पर दिया जाना है। इस केन्टीन का क्षेत्रफल 2700वर्ग फीट है। इस केन्टीन में खाद्य सामग्री का विक्रय किया जावेगा।

केन्टीन क्रमांक-2 :- बरकतउल्ला विश्वविद्यालय परिसर में अभियांत्रिकी संस्थान के पास पुस्तकालय भवन के पीछे केन्टीन को किराये पर अधिकृत केन्टीन संचालक को किराये पर दिया जाना है। इस केन्टीन का क्षेत्रफल 1500वर्ग फीट है। इस केन्टीन में खाद्य सामग्री का विक्रय किया जावेगा।

अनु. 4
केन्टीन (मण्डल)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, गोपाल

शपथ पत्र नोटरी से सत्यापित
रूपये 500/- के स्टाम्प पेपर
पर

मैं (फर्म के प्रोप्राइटर का नाम)-----

पुत्र/पुत्री----- उम्र-----

फर्म का पता:-----

शपथपूर्वक निम्नलिखित कथन करता हूँ कि निविदा में प्रस्तुत फर्म से संबंधित जानकारी पूर्णतः सत्य है। मेरे द्वारा किसी भी जानकारी को छिपाया नहीं गया है। मैंने निविदा प्रपत्र को पूर्ण रूप से पढ़ एवं समझ लिया है तथा उसमें वर्णित समस्त शर्तें मेरी फर्म को मान्य हैं।

मैं यह भी कथन करना हूँ कि यदि निविदा एवं शपथ पत्र में प्रस्तुत जानकारी असत्य पायी जाती है तो बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल को मेरी फर्म की निविदा निरस्त करने का अधिकार है एवं फर्म द्वारा जमा सुरक्षा निधि राशि/ बैंक गारंटी जब्त करते हुए फर्म को ब्लैकलिस्ट करने का अधिकार होगा एवं यह हमारी फर्म को यह मान्य होगा :-

- (1) यह कि विश्वविद्यालय द्वारा किराये पर दी जाने वाले केन्टीन का निरीक्षण भली-भाँति कर लिया है।
- (2) यह कि फर्म को किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था/विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से कभी भी ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है। साथ ही फर्म के उपर किसी शासकीय संस्था/उपक्रम/बैंक की देनदारी शेष नहीं है न ही उसे डिफाल्टर तथा दिवालिया घोषित किया गया है।
- (4) फर्म से संबंधित जानकारी निम्नानुसार है यह जानकारी सत्य एवं प्रमाणित है:-

निम्नानुसार दस्तावेज फर्म की सील एवं हस्ताक्षर सहित स्कैन कापी अपलोड की जाना हैं। दस्तावेजों पर पृष्ठ क्रमांक आवश्यक रूप से अंकित करें।

सं० क्र०	विवरण		पृष्ठ क्रमांक
01	निविदा प्रपत्र के मूल्य रूपये 1000=00 (रु. एक हजार मात्र) आन-लाइन जमा की रसीद।	UTR No. Date:-	
02	सुरक्षा निधि राशि रूपये 5000-00 (रु. पाँच हजार मात्र) आन-लाइन जमा की रसीद	UTR No. Date:-	
03	केन्टीन हेतु अनुभव :- निविदाकर्ता फर्म को विगत तीन वित्तीय वर्षों (2017-18, 2018-19, 2019-20) में शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्था/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में केन्टीन चलाने का अनुभव होना चाहिए। सम्बन्धित संस्था के कार्य आदेश	वित्तीय वर्ष (2017-18) के कायदेश की प्रति वित्तीय वर्ष (2018-19) के	

अधिकांशी (भोपाल)
विश्वविद्यालय, भोपाल

	/प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रमाण स्वरूप संलग्न करें।	कायदेश की प्रति वित्तीय वर्ष (2019-20) के कायदेश की प्रति	
04	फर्म के पिछले तीन असेसमेन्ट वर्षों (2018-19, 2019-20, 2020-21) के इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) की छाया प्रति संलग्न करें।	असेसमेन्ट वर्ष (2018-19) के आयकर रिटर्न की प्रति असेसमेन्ट वर्ष (2019-20) के आयकर रिटर्न की प्रति असेसमेन्ट वर्ष (2020-21) के आयकर रिटर्न की प्रति	
05	विगत तीन वित्तीय वर्षों (2017-18, 2018-19, 2019-20) में फर्म का न्यूनतम रूपये 2,00,000-00 (रु. दो लाख मात्र) प्रतिवर्ष का टर्नओवर होना अनिवार्य हैं। <u>फर्म के टर्नओवर की चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें।</u>	वित्तीय वर्ष (2017-18) में टर्नओवर की राशि रूपये:----- वित्तीय वर्ष (2018-19) में टर्नओवर की राशि रूपये:----- वित्तीय वर्ष (2019-20) में टर्नओवर की राशि रूपये:-----	
07	जी0एस0टी0 (GST) नंबर की छाया प्रति संलग्न करें।		
08	PAN CARD (आयकर) की छाया प्रति संलग्न करें।		
09	संस्था/फर्म/कम्पनी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।	पंजीयन नम्बर:----- वैधता दिनांक:-----	
10	केन्टीन की निविदा हेतु निविदाकर्ता के पास खाद्य एवं औषधि विभाग का जीवित पंजीयन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।	पंजीयन नम्बर:----- वैधता दिनांक:-----	
11	निविदाकर्ता के पास FSSAI का जीवित पंजीयन होना चाहिए। इसकी प्रति संलग्न करें।	पंजीयन नम्बर:----- वैधता दिनांक:-----	
12	निविदा प्रपत्र ए-1		

संयोजक अतिरिक्त (भण्डारी)
आयुक्त निविदाकार, भोपाल

**प्रपत्र ए-1
(निविदा प्रपत्र)**

प्रति,

कुलसचिव,

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

विषय:-
महोदय,

विश्वविद्यालय परिसर में किराये से केन्टीन संचालन की निविदा वर्ष-2021 बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि हमारी संस्था की जानकारी निम्नानुसार है:-

सं० क्र०	विवरण	
01	फर्म का नाम	
02	पत्र व्यवहार का पता	
03	फर्म के प्रतिनिधि का नाम	
04	पदनाम	
05	फर्म के प्रतिनिधि का दूरभाष एवं मोबाईल नम्बर तथा ईमेल	

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि निविदा में दर्शित शर्तों के अनुसार विश्वविद्यालय परिसर में किराये से केन्टीन संचालन की निविदा का कार्य निविदा में दर्शित शर्तों का पालन करते हुए पूर्णतः करने को अपनी सहमति प्रदान करते हैं। यह भी प्रमाणित करता हूँ कि निविदा में दी गयी जानकारी पूर्णतः सत्य है।

शपथग्रहीता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथग्रहीता सत्यापित करता हूँ कि मेरे द्वारा निष्पादित उक्त शपथ पत्र के में वर्णित कथन मेरे निजी ज्ञान व विश्वास अनुसार पूर्णतः सत्य हैं।

शपथग्रहीता

- (1) गवाह का नाम पता एवं फोटो आई.डी. प्रूफ
- (2) गवाह का नाम पता एवं फोटो आई.डी. प्रूफ

अनुमानित अधिकारी (भण्डारी)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
वित्तीय निविदा भाग-5

फर्म का नाम	
-------------	--

सं.क्र.	केन्टीन का विवरण	किराया प्रतिमाह रू. में
1	केन्टीन क्रमांक-1	
2	केन्टीन क्रमांक-2	

जी.एस.टी. की दर	
जी.एस.टी. की दर	


अनुभाग अधिकारी (भण्डारी)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल